

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कन्हैयालाल जांगीड पुत्र स्व. बुधमल जांगीड, निवासी- वार्ड नम्बर-17, सुथारों के बास के बाहर, फलौदी हाल निवासी- 305 ए, तीसरी ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।		1. नगरपालिका फलौदी जरिये सभापति कमला थानवी (अध्यक्ष) 2. नगरपालिका फलौदी जरिये अधिशाषी अधिकारी 3. मोहनलाल पुत्र प्रहलाददास थानवी कबूतरों का चौक, फलौदी। 4. नवनारायण पुत्र बुद्धमल सुथार 5. वल्लभकुमार पुत्र मोतीलाल सुथार 6. शान्तीलाल पुत्र लूणकरण सुथार अप्रार्थी संख्या 4 से 6 परफोर्मा पार्टी, निवासीगण- वार्ड नम्बर-17, सुथारों के बास के बाहर, फलौदी।



नगरपालिका निगरानी अंतर्गत धारा 73 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.09.2017 जो अध्यक्ष, नगरपालिका, फलौदी के द्वारा एम्पावर्ड समिति बैठक के प्रस्ताव संख्या 04 में अप्रार्थी संख्या 03 को खांचा भूमि आवंटित की गई, के विरुद्ध पेश की गई है।

उपस्थिति:-

1. श्री कन्हैयालाल जांगीड, अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री टीकूराम, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 29 जनवरी 2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अंतर्गत धारा 73, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत अध्यक्ष, नगरपालिका, फलौदी के द्वारा एम्पावर्ड समिति बैठक के प्रस्ताव संख्या 04 में अप्रार्थी संख्या 03 को खांचा भूमि आवंटित किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरुद्ध दिनांक 27.05.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।


संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगौराह

निगरानी दर्ज करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए, जिस पर अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 03 को जारी नोटिस तामीलशुदा प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या 03 का नोटिस जरिये अखबार साया प्रकाशन कर उसकी एक प्रति न्यायालय में पेश की गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर उनकी तामील पर्याप्त मानते हुए पत्रावली बहस में रखी गई।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने लिखित में बहस पेश कर निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि नगरपालिका फलौदी के द्वारा प्रकरण संख्या 17/2018 में अप्रार्थी मोहनलाल पुत्र प्रहलाददास थानवी को तथाकथित 60 वर्गफुट भूमि का आवंटन/नियमन गैर कानूनी तरीके से किया गया है जो कानूनन गलत है जो काबिल निरस्ती के है क्योंकि तथाकथित भूमि आवंटन में सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार तथा गलत मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर तथाकथित खांचा भूमि आवंटित की गई है जो निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 के उक्त तथाकथित खांचा भूमि की प्रक्रिया में अप्रार्थी संख्या 4 से 6 ने अपनी लिखित उज्रदारी दिनांक 21.7.2017 को नगर पालिका फलौदी में व दूसरी उज्रदारी दिनांक 29.9.2017 को पेश की थी, जिस पर अप्रार्थीगण को सुना नहीं गया और न ही आपत्ति का निस्तारण किया गया और प्रकरण में खांचा भूमि आवंटन के आदेश पारित कर दिये गये। अप्रार्थी संख्या 03 मोहनलाल का मकान अप्रार्थी संख्या 4 से 6 व अपीलार्थी के मकान की तरफ नहीं है जबकि तथाकथित विवादित भूमि जिसे खांचा भूमि दर्शाई गई है, वो अपीलार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के मकान के सामने स्थित है जो आम चौक की तारीफ में आता है और चौक के रूप में ही उपयोग किया जाता है जो खांचा भूमि में नहीं आता और न ही खांचा भूमि है। उक्त चौक की भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 का उक्त भूमि को आवंटन कराने का कोई अधिकार नहीं बनता था, जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त तथाकथित चौक की भूमि पर नगरपालिका फलौदी ने वर्ष 2006 में सीमेन्ट का फर्श/सीमेन्ट की कंक्रीट का टेण्डर कर ठेकेदार के जरिये फर्श करवाया था, जो प्रस्तुत फोटो से स्पष्ट हो जाता है, ऐसे में उक्त


संभागीय आयुक्त
जोधपुर



नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगैराह

भूमि खांचा भूमि थी ही नहीं। उक्त भूमि में सोकपीट गटर भी खुदे हुए है जो कि मौके पर भी कायम है। उक्त चौक की भूमि को खांचा भूमि दिखाकर आवंटन करवा लिया गया, जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 का कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने झूठा शपथ पत्र व गलत तथ्यों के आधार पर नगरपालिका को गुमराह किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 को गैर कानूनी व गलत तरीके से सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए आवंटन की कार्यवाही की गई है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 आपस में रिश्तेदार है, ऐसे में खांचा भूमि आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल के मकान के पूर्व मालिक द्वारा तथाकथित चौक को आवंटन किये जाने के लिये नगरपालिका फलौदी में 1976-77 में आवेदन किया था, उस आवेदन को नगरपालिका ने निरस्त कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.2017 एवं शपथपत्र में झूठे तथ्य अंकित करते हुए तथाकथित भूमि को आवंटन करने बाबत पेश किया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि उक्त चौक की भूमि मेरे मकान के पीछे स्थित है, उसके उपभोग व उपयोग बाबत कुछ नहीं लिखा है। उक्त भूमि को अपने मूल भवन में संयुक्तीकरण रूप में काम में लेने का उल्लेख किया है। अप्रार्थी संख्या 03 अतिक्रमी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 03 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है फिर भी इसका आवंटन नगरपालिका फलौदी द्वारा किया गया है जो निरस्त किया जावे।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नगरपालिका फलौदी ने अप्रार्थी संख्या 3 के आवेदन की पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में दो निकटतम पड़ोसियों के सहमति पत्रों का उल्लेख किया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा ऐसे कोई सहमति पत्र पेश नहीं किये गये, इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 4 से 6 जो पड़ोसीगण है, के द्वारा दिनांक 21.7.2017 व दिनांक 29.9.2017 को उज्रदारी पेश कर रखी थी, उन आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया जो नियमों के विपरित है। उक्त आवंटन की पत्रावली को एक ही दिन में संधारित कर दिया गया, जो कि आदेशिका में कार्मिको/अधिकारियों के किये गये हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित करने से स्पष्ट हो जाता है, वो भी नियम विरुद्ध था। नगरपालिका फलौदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को तथाकथित भूमि का आवंटन कर उसका पट्टा विलेख जारी किया गया जिसकी राशि रूपये 1,04,900/- दिनांक 2.11.2017 को पालिका कोष में



नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगैराह

जमा करवाई गई और दिनांक 8.11.2017 को लीज डीड हस्ताक्षर कर दी गई, जो राशि के समायोजन करने से पूर्व ही कर दिया गया है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी प्रथम बार दिनांक 7.10.2018 को हुई, तब उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2018 को क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय जोधपुर के यहां पेश किया गया, जिस पर नगरपालिका से रेकॉर्ड तलब किया गया और अधिशाषी अधिकारी एवं प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 28.12.2018 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि आवंटन नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होता है, इसलिये नगरपालिका पुनः कार्यवाही करे और अनियमित आवंटन पाया जाता है तो उसे निरस्त की कार्यवाही करें, परन्तु अधिशाषी अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण से प्रार्थी यह अपील न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है, जिसे जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार की जावें।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नगरपालिका द्वारा भूमि आवंटन करने बाबत आपत्ति आमंत्रण की सूचना दिनांक 30.6.2017 को जारी की गई जिसमें पडौस के रूप में पूर्व में रास्ता, पश्चिम में खाली, उत्तर में रास्ता तथा दक्षिण में भंवरलाल पुत्र धोकलराम की जायदाद दिखाई है, जबकि मौका रिपोर्ट में पूर्व में चौक व रास्ता, पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 3 का मकान और दक्षिण में भंवरलाल पुत्र धोकलराम की स्ट्रिप दिखाई हुई है। अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल को आवंटित भूमि के विक्रय विलेख दिनांक 13.1.2017 में उत्तर में रास्ता, दक्षिण में भंवरलाल की जायदाद, पूर्व में रास्ता व चौक, पश्चिम में स्वयं का मकान बताया है, जबकि आवेदन के साथ पेश किये नक्शे में पूर्व में 22.09 फुट का रास्ता बताया है जहाँ कोई चौक का उल्लेख नहीं किया है, पश्चिम में स्वयं का मकान, उत्तर में 10 फुट का रास्ता दिखाया है, दक्षिण में भंवरलाल को दी गई स्ट्रिप की जमीन दर्शाई हुई है। उपरोक्त प्रकार से सभी दस्तावेजों में अलग-अलग पडौस दर्शाये हुए हैं जिससे यह जाहिर होता है कि भूमि मूलतया चौक की भूमि थी क्योंकि इसकी ताईद मौका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2017 से होती है और अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किये गये विक्रय विलेख में भी रास्ता व चौक दर्शाया हुआ है और उसके साथ नजरी नक्शा जो लगाया गया है, उसमें भी पूर्व की तरह रास्ता व चौक दिखाया गया है, से होती है तो इसमें पहले दिखाया जाकर बाद में चौक दिखाया गया है। इसलिये सामने वाले मकानात का रास्ता जो



नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगौराह

उसने अपने नक्शे में दिखा रखा है, वो कहां गया। अगर सामने वाले मकानात के सामने चौक है तो उनके सिरे दरवाजे व उनके आने-जाने का रास्ता कौन-सा है। इसके विपरित अगर चौक है और रास्ता बाद में है तो निश्चित रूप से विवादित भूमि चौक का हिस्सा थी। इस प्रकार सभी दस्तावेजों में विरोधाभास है और इस विरोधाभास के आधार पर नगरपालिका फलौदी द्वारा जो आपत्ति आमंत्रित की गई है वो सर्वथा गलत है और वो इस प्रकरण में लागू नहीं होती क्योंकि जिस आपत्ति में प्रस्तावित भूमि के पडौसी का उल्लेख सही नहीं होगा तो कोई भी उज्रदार उसके विरुद्ध उज्रदारी कैसे करेगा। इसलिये यह कार्यवाही मिलीभगत व गैर कानूनी तरीके से की गई है, जो गलत व नियमों के विपरित है जिसे निरस्त किया जावे।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकार से एक निगरानी/प्रार्थनापत्र निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में पेश किया गया था जिस पर निगरानी में दिनांक 9.7.2019 को सम्पूर्ण सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन कर मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश निगरानीगर्ता के हक में जारी किया गया था क्योंकि अप्रार्थी मोहनलाल उक्त आवंटित भूखण्ड पर पट्टियां लगाना चाह रहा था। अप्रार्थी संख्या 3 का आज भी कब्जा नहीं है और मौके पर भूमि खाली है और चौक के रूप में काम आता है तथा उस पर नगरपालिका फलौदी ने सीमेन्ट की कंकीट का कार्य कर रखा है और फर्श बनी हुई है। निदेशक महोदय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.7.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका अप्रार्थी संख्या 03 ने पेश कर आगे कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। उक्त स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13741/2019 में आदेश दिनांक 13.09.2021 को पारित कर उक्त स्थगन आदेश दिनांक 19.09.2019 को निरस्त कर दिया और अपने निर्णय में यह माना कि विवादित भूमि रास्ते की भूमि व सार्वजनिक चौक है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 व नगरपालिका फलौदी के विरुद्ध अन्य लोगों ने वल्लभ सुथार, शान्तीलाल व नवनारायण ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी सिविल न्यायालय फलौदी में पेश कर रखा है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का भी आवेदन किया था। उक्त आवेदन सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने की स्थिति में अन्य प्रार्थीगणों ने उक्त आदेश की एक अपील अपर जिला न्यायाधीश फलौदी में पेश की थी जिसमें न्यायालय द्वारा प्रभावी पक्षकारों की सुनवाई करते हुए

नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगैराह

दिनांक 4.5.2023 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी प्रार्थीगणो के हक में स्थगन आदेश जारी किया गया, उक्त आदेश के पद संख्या 17 में माननीय न्यायालय ने यह धारित किया है कि वादग्रस्त भूमि चौक के रूप में होना दर्शित होता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2021 में यह भी धारित किया है कि उक्त विवादित भूमि पब्लिक वे व पब्लिक चौक का भाग है, उक्त आदेशों की प्रतियाँ अवलोकनार्थ पेश है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि पूर्व में भी उक्त तथाकथित खांचा भूमि को आवंटन करने के लिये दो बार आवेदन किया गया था जिसकी मिसल संख्या 05/76-77 है। उक्त आवेदन दिनांक 22.01.1985 को निरस्त कर दिया गया। दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.1980, 1.3.1982 को पेश किया गया था जो भी दिनांक 22.1.1985 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। पूर्व में भी उज्जदारी दिनांक 22.11.1983 को पेश की गई थी। नगरपालिका फलौदी द्वारा एक बार आवेदन निरस्त करने के उपरान्त यह दूसरा आवेदन पेश कर पत्रावली चलाई गई जिसमें पूर्व निस्तारित पत्रावली का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वर्तमान पत्रावली में मोतीलाल व नवनारायण वगैराह द्वारा उज्जदारी पेश की गई थी, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है न ही उज्जदारी निस्तारित की गई है जो कि आज दिनांक तक विचाराधीन है।

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में उक्त प्रकरण में अपना क्षेत्राधिकार न होने तथा सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त को होने के कारण प्रकरण को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र/निगरानी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने के कारण आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 21.04.2022 में भी निर्णय के अन्तिम पैरा में विवादित भूमि को चौक की भूमि का भाग होना माना है और उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर के आदेश दिनांक 28.12.2018 में भी इस विवादित भूमि का आवंटन गलत माना गया और भूमि को चौक का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी तथ्यों/ दस्तावेजों एवं सिविल न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, स्थानीय निकाय विभाग, स्वायत्त शासन विभाग इत्यादि के द्वारा अपने अपने निष्कर्ष में उक्त भूमि को चौक की भूमि होना दर्शाया है। अतः प्रार्थी की ओर से इस निगरानी प्रकरण को उपरोक्त समस्त तथ्यों/कथनों के आधार पर सव्यय स्वीकार की जावे तथा नगरपालिका, फलौदी की



नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगौराह

एम्पावर्ड समिति बोर्ड की बैठक के प्रकरण संख्या 17/2018 दिनांक 29.09.2017 के प्रस्ताव संख्या 04 में में अप्रार्थी संख्या 03 मोहनलाल पुत्र प्रहलाददास थानवी को आवंटित की गई 60 वर्गगज खांचा भूमि/भू पट्टी को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि नगरपालिका के द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को दिनांक 29.09.2017 को खांचा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध जाकर, मौका स्थिति के विपरित व अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अपने आवेदन में दर्शाये गये मिथ्या तथ्यों के आधार पर नगरपालिका अध्यक्ष एवं अधिकारियों से मिलीभगती करते हुए पारित करवा लिया गया है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है जिसको सभी पडौसी व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से उपभोग व उपयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा आवंटित खांचा भूमि के विरुद्ध अलग-अलग न्यायालयों के समक्ष पेश हुए प्रकरणों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक चौक की भूमि दर्शाया गया है, इससे स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 03 को आवंटित की गई भूमि खांचा भूमि न होकर सार्वजनिक चौक की भूमि है। अतः अप्रार्थी संख्या 03 को आवंटित खांचा भूमि बाबत पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं नगरपालिका फलौदी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को खांचा भूमि आवंटन बाबत पारित आदेश के सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालय इत्यादि के द्वारा पारित आदेशों का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 को उल्लेखित खांचा भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा जरिये नोटिस दिनांक 30.06.2017 को अखबार में साया प्रकाशन करवाकर आपत्तियों आमंत्रित की गई, जिसके सम्बन्ध में फलौदी के वार्ड संख्या 17 के मौहल्लेवासियों के द्वारा दिनांक 21.7.2017 तथा जरिये अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 11.10.2017 को नगरपालिका फलौदी को उज्रदारी पेश की जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है परन्तु उक्त उज्रदारी को नगरपालिका द्वारा निस्तारण किया गया हो, ऐसा पत्रावली से कही प्रकट नहीं होता है।

इसके अलावा उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर की ओर से उक्त आवंटन के सम्बन्ध में करवाई गई जाँच के अनुसार भू पट्टी के आवंटन के सम्बन्ध

नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगैराह

नगरपालिका द्वारा की गई खांचा भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही नियमानुसार सही प्रतीत नहीं होने के कारण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को लिखा गया कि वर्तमान प्रार्थी को प्रकरण में पुनः सुनते हुए प्रकरण की अपने स्तर पर जाँच करे एवं प्रकरण अनियमित पाया जाता है तो भू पट्टी को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त करने की कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा गया है जिसके सम्बन्ध में नगरपालिका के द्वारा कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। माननीय सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने निष्कर्षों में उक्त आवंटित भू भाग को चौक की भूमि होना उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी में यह भी अंकित किया गया है कि पूर्व समय में यानि वर्ष 1985 में भी नगरपालिका के समक्ष उक्त भू भाग की भूमि को आवंटन करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था तथा एक बार के आवेदन को निरस्त करने के उपरान्त दूसरा आवेदन पेश कर पत्रावली चलाई गई जिसमें पूर्व की निस्तारित पत्रावली का कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि उक्त चौक वाले भू भाग पर नगरपालिका की स्वीकृति से दो सॉकपिट भी बने हुए हैं जो चालू हालत में हैं। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में अप्रार्थी संख्या 03 को नगरपालिका फलौदी के द्वारा खांचा भूमि आवंटन को निरस्त करते हुए प्रकरण को नगरपालिका फलौदी को प्रतिप्रेषित किया जाकर उल्लेखित भू भाग की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी अन्य पड़ोसी व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका जाँच करने तथा मौका फर्द तैयार करने, भू भाग के सम्बन्ध में पेश हुई उज्रदारी को पत्रावली पर रखते हुए तथा माननीय सिविल न्यायालय, फलौदी एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय फलौदी एवं राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में पारित किये गये निर्णयों में दिये गये निष्कर्षों की विधि अनुरूप परीक्षण करवाते हुए एवं सभी प्रभावित पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में किये गये खांचा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में पुनः निर्णय जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 03 को नगरपालिका फलौदी के द्वारा खांचा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 29.09.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण नगरपालिका फलौदी को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया

नगरपालिका निगरानी संख्या 18/2022 अनवान कन्हैयालाल बनाम नगरपालिका
फलौदी वगैराह

जाता है कि वे आवंटन आदेश में उल्लेखित भू- भाग की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी/अप्रार्थीगण एवं अन्य पड़ोसी व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका जाँच करने तथा मौका फर्द तैयार करने, भू-भाग के सम्बन्ध में पेश हुई उज्रदारी/आपत्तियों को पत्रावली पर रखते हुए तथा माननीय सिविल न्यायालय, फलौदी एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय फलौदी एवं राज0 उच्च न्यायालय के द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध में पारित किये गये विभिन्न निर्णयों में दिये गये निष्कर्षों का विधि के अनुरूप परीक्षण करवाते हुए एवं सभी प्रभावित पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में किये गये खांचा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में पुनः यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. प्रतिभा सिंह)
असम्भागीय आयुक्त
जोधपुर